 # नवचयनित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

होमगार्ड्स एनरोलमेंट प्रक्रिया-2025 के अंतर्गत जनपदों में नवचयनित अधिकांश अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण एवं पुलिस सत्यापन पूर्ण हो चुका है। नवचयनित स्वयंसेवकों को माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के कर-कमलों से नियुक्ति-पत्र/एनरोलमेंट प्रमाण-पत्र वितरित किए जाने की संभावना के दृष्टिगत होमगार्ड स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट एवं प्रशिक्षण के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:

1. एनरोलमैंट प्रमाण-पत्र: केवल उन्हीं चयनित अभ्यर्थियों को एनरोलमेंट प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा, जो चिकित्सीय परीक्षण एवं पुलिस सत्यापन में उपयुक्त पाए गए हों। लंबित प्रकरणों में दोनों प्रक्रियाएं पूर्ण होने एवं उपयुक्त पाए जाने के उपरांत ही एनरोलमेंट प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

2. वर्दी की व्यवस्था: प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि निर्धारित/सूचित होने से पूर्व अभ्यर्थियों को वर्दी सिलवाने अथवा खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जनपदीय इकाइयों द्वारा प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होने हेतु जारी पत्र में वर्दी के निर्धारित आइटम की जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान से इनकी खरीद अथवा सिलाई करा सकेंगे। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

3. बैंक खाता: स्वयंसेवक अपनी इच्छानुसार किसी भी सरकारी अथवा निजी बैंक में खाता खुलवा सकेंगे। इस संबंध में जनपदीय इकाइयों द्वारा द्वारा जारी पत्र के माध्यम से आवश्यक जानकारी दी जाएगी।

उक्त व्यवस्था का उद्देश्य नवचयनित होमगार्ड स्वयंसेवकों की एनरोलमेंट एवं प्रशिक्षण संबंधी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाना है।

पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ